

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० ..... से  
 जिला - बोकारो केस सं० ..... 73/2015-16  
 केस का प्रकार :- नामांतरण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

08/05/2015

श्री. मोहम्मद मखसुम हसन मंसारी  
 पिता/पति श्री. इलाही मिर्जा  
 साकिम परसवनी याना- नावाडी  
 जिला-बोकारो ने निम्नांकित भूमि का दा० खा० हेतु आवेदन पत्र दिया है जो श्री. मौला बक्स मंसारी  
 पिता स्व० मखसुम गफ्फर मिर्जा  
 सा० परसवनी  
 जिला-बोकारो के कवाला संख्या 73  
 दिनांक 22/01/05 द्वारा मो० 43,000/-  
 रुपये में क्रय किया है।

जमीन का वितरण :-

ग्राम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	माल
<u>परसवनी</u>	<u>57</u>	<u>193</u>	<u>0.04</u>	<u>0.10</u> कैसा
<u>97</u>				

मूल आवेदन ह० कर्म० की जाँच हेतु दे। उन्हें आदेश दिया जाता है कि जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अंचल निरीक्षक के माध्यम से दे। साथ ही आम ईस्तेहार निर्गत कर आपत्ति आमंत्रण करें। अभिलेख दिनांक 26/05/2015 की उपस्थित करें।

26/05/15  
 अंचल अधिकारी  
नावाडी

आम ईस्तेहार पात्र  
 मोर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदा० का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

26/05/2015

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त.....निर्धारित तिथि तक किसी ने आपत्ति पत्र नहीं दिया है ह० कर्म/अ० नि० का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवलोकन किया तथा पाया कि वर्णित भूमि का पंजी 2 के पृष्ठ सं०..... 18..... भोलूम सं०..... IV..... में विक्रेता के..... परदादा.....

नाम से रसीद निर्गत होती है। विक्रेता ने अपने हिस्से की जमीन बिक्री किया है, जो क्रेता के दखल कब्जा में है। हल्का कर्मचारी/अ० नि० ने दा० खारिज करने का अनुशंसा किया है।

अतः ह० कर्म/अ० नि० के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित वर्णित भूमि का दखिल खारिज क्रेता के नाम से..... किया जाता है।

ग्राम खाता नं० प्लॉट नं० रकबा माहा

प्रासवनी 97 57 193 0.04 ए० 1-00 ए० 80 ए०

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

अंचल अधिकारी

नावाडीए

अंचल अधिकारी

नावाडीए

पुनश्च: शुद्धि पत्र हस्ताक्षर किया गया। दो प्रति हल्का कर्मचारी अनुपालन हेतु दे।

अंचल अधिकारी

नावाडीए



# नामान्तरण (दाखिल-खारिज) के आवेदन पत्र

हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन

नामान्तरण (दाखिल-खारिज) केस नं० 73/2015-16

गाँव - परसबनी थाना - नावाडीह थाना नं० - 97 जिला - बोकारो

1) लेख्य का प्रकार :- I) बिक्री ✓ II) दान ~~✓~~ 3) बँटवारा ~~✓~~ 4) उत्तराधिकारी।

2) पूर्णतः या अंशतः बिक्री द्वारा अंतरित क्षेत्र का रकवा 0.04 अ. एकड़।

केवाला संख्या 73 दिनांक 22/01/15 मूल्य 45,000/-

नामान्तरण (दाखिल - खारिज) के पहले मूल होलिंग

खाता न०	जमाबंदी रैयत का नाम	प्लॉट न०	रकवा	लगान	18/IV अभ्युक्ति
54	सुलाल मिश्रा वगैरे	193 वगैरे	6.81	25.90	महाशय प्रतापेन्द्र श्री शैली खात्रे श्री है। पंजी II के फल सं० 18/IV में विक्रेता के पर दादा के नाम से जमाबंदी प्राप्त है। विक्रेता ने अपने हिस्से श्री शैली खात्रे को बिक्री किये है। विक्रेता देखल कर है। आवेदन श्रीम

नामान्तरण (दाखिल - खारिज) के पहले मूल होलिंग

54	do	193 वगैरे	6.77	25.80	वन सीमा, खैरात, अदान अहदबनी, गैर खास आश्रम को आदिवासी खेत के बाहर है। अतः खेत के नाम से नामान्तरण स्वीकृत श्री अनुशांसा श्री जारी है। विक्रेता C.N.T. अक्ष के दायरे से बाहर है।
----	----	--------------	------	-------	---

नया होलिंग

54	मोहम्मद अब्दुल हसन अंसारी पिता इलाही मिश्रा शा० - परसबनी	193	0.04	0.10 पैसा प्र० ल० 1-00 रु० अ० शे०	आश्रम को आदिवासी खेत के बाहर है। अतः खेत के नाम से नामान्तरण स्वीकृत श्री अनुशांसा श्री जारी है। विक्रेता C.N.T. अक्ष के दायरे से बाहर है।
----	--	-----	------	--	--

श्री श्री नावाडीह  
इ. कर्क के प्रतिवेदन की जांच  
क्या सही जाय। हा. का. स्वीकार  
किया जा रहा है।

V.O.S  
A.A

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर  
हल्का नं० 73

73/2015-16  
परसबनी